कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर,म.प्र.

क्रमांक /335/ पी.ए. / 2020 इन्दौर, दिनांक 23.03.2020

"आदेश"

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

सर्वसाधारण की जानकारी में यह लाना आवश्यक हो गया है कि दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में कोरोना वायरस (COVID-19) का संक्रमण प्रारंभ हुआ जो अब 150 से अधिक देशों में फैल चुका है। दिनांक 31.1.2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस को Public Health Emergency of International Concern होने से महामारी (pandemic) घोषित किया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-02/2020/सत्रह/मेडी-2 दिनांक 7 मार्च 2020 के परिपेक्ष में मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक/38(बी)/ए.सी.एस./जी.ए.डी./2020, भोपाल, दिनांक 22.03.2020 में नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय हेतु निंदेशित किया गया है। इस संबंध में पारित पूर्व आदेश क्रमांक 501/री.ए.डी.एम., दिनांक 18.03.2020 को अधिक्रमित कर आज दिनांक को नवीन आदेश पारित किया जा रहा है । नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निंदेश एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिपेक्ष्य में जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उददेश्य से इन्दौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में, मैं लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूं:

1. हवाई, रेल अथवा सड़क मार्ग से इंदौर जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों संबंधी' –

i. इन्दौर जिले की सीमा के बाहर के स्थानों से आने वाले व्यक्ति व्यक्तियों की जांच चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। वर्तमान में यह व्यवस्था एयरपोर्ट पर आ रहे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए है परंतु संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों के आवागमन को देखते हुए चिकित्सीय जांच की व्यवस्था प्रारंभ की गई तो प्रत्येक व्यक्ति यात्री को चिकित्सीय जांच कराना अनिवार्य होगा।

ii. कोविद 19 वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिससे संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं वह अपना संपूर्ण पता चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

iii. कोरोना संक्रमण से प्रभावित देश, राज्य अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से आ रहे व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन अनुसार चिकित्सीय व्यवस्था एवं समस्त निर्देशों का पालन करना होगा। संभावित संक्रमण के सिलसिले को तोड़ने हेतु अपने निवास स्थलों पर home quarantine में रखे गए व्यक्तियों को संपूर्ण क्वॉरेंटाइन अवधि तक निवास अपने निवास स्थल पर ही रहेंगे। Quarantine अवधि में चिकित्सीय परामर्श का अनुपालन करना होगा।

iv. कोरोना प्रभावित देश, राज्य अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से आ रहे व्यक्तिओं को कोरोना संक्रमण की स्क्रीनिंग/ जांच की जानकारी दिनांक 23.03.2020 की शाम 05.00 बजे तक कंट्रोल रूम के इस नंबर 0731-2537253 पर उपलब्ध करानी होगी।

v. अंतर जिला लोक परिवहन की सेवाओं के समस्त संचालक/ ऑपरेटर/ वाहन मालिक/डायवर कंडेक्टर को निंदेशित किया जाता है कि यात्रियों को बैठाने/उतारने के लिए नवलखा, गंगवाल, ए.आई.सी.टी.एस.एल. बस स्टेण्ड निधारित किए जाते है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर यदि यात्रियों को बैठाया/उतारा गया तो संबंधित व्यक्ति एवं उक्त वाहन के विरूध्द कार्यवाही की जावेगी ।

2. शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय /वर्क स्पेस/ कॉल सेंटर आदि प्रतिष्ठान के संबंध में -

i. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/ 38b/ ए.सी.एस/ जी ए डी/ दिनांक 22.03.2020 अनुसार इंदौर जिले में स्थित मध्य प्रदेश शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से दिनांक 31.3.2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से संपादित करने की अनुमति प्रदान की गई।

ii. परंतु किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने मोबाइल नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे। यह भी आदेशित किया जाता है की तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश उपरांत संबंधित अधिकारी/ कर्मचारियों को कार्यस्थल अथवा जैसा कि निर्देशित किया जाए उपस्थिति दर्ज कराना होगा।

iii. समस्त निजी संस्थान, कार्यालय, कॉल सेंटर या निजी क्षेत्र में स्थित समस्त प्रतिष्ठान उल्लेखित अवधि तक बंद रहेंगे।

3. आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है –

i. विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी/कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य (निजी एवं शासकीय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी), अग्निशमन सेवा, राशन दुकान, रेल, हवाई अड्डा एवं बस अड्डा पेयजल आपूर्ति एवं बिजली विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगर सैनिक/ होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अधिमान्य पत्रकार, डाक सेवाए।

ii. बैंक सीमित अवधि (प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक) संचालित हो सकेंगे

iii. ए.टी.एम. पूर्व की तरह संचालित रहेंगे।

4. दैनिक जीवन उपयोग संबंधी आवश्यक वस्तु/सेवा के निर्देश – आमजन की सुविधा हेतु यथासंभव दैनिक जीवन उपयोग संबंधी निम्नानुसार आवश्यक वस्तु/सेवा को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा जाता है-

i. खाद्य पदार्थ, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की इ कॉमर्स आपूर्ति

ii. हॉस्पिटल,दवा दुकान, चश्मे की दुकान

iii. पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी/ सीएनजी गैस पंप

iv. होम/टिफिन पार्सल सेवाएं

v. उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, खादय पदार्थ निंमाण, फूड प्रोसेसिगं, दवा/फार्मा, मास्क, सेनेटाईजर निंमाण की ईकाईयां अथवा अन्य अत्यंत आवश्यक निंमाण ईकाईयां (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमपी आईडीसी की अनुशंसा के आधार पर) संचालित रह सकते हैं। परंतु

उक्त इकाइयों को भी कार्य संचालन के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा ।

5. जिले की सीमा में स्थित किसी भी तरह के सार्वजनिक स्थल के संबंध में निर्देश –

i. समस्त पार्क, मनोरंजन स्थल आदि सभी बंद रहेंगे
ii. सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, साप्ताहिक हाट बाजार आदि संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी
iii. सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णता बंद रहेंगे
iv. सभी पर्यटन स्थल पूर्णता बंद रहेंगे
v. समस्त वाचनालय, वॉटर पार्क, जिम्नेशियम, मैरिज हॉल/गार्डन
vi. समस्त सिनेमा हॉल एवं डिस्कोथेक
vii. समस्त मॉल एवं मॉल में संचालित समस्त दुकाने/आउटलेट/शोरूम आदि दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे। परन्तु यह प्रतिबंध मॉल में संचालित ग्रॉसरी/किराना स्टोर साफ सफाई की उपयुक्त व्यवस्था का पालन कर संचालित किए जा सकेंगे ।

6. स्कूल आंगनबाड़ी कॉलेज अथवा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों संबंधित संस्था हेतु निर्देश -

i. मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक Q/60/20/2012 दिनांक 15.3.2020 में दिए गए निर्देश अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय में दिनांक 31 मार्च 2020 तक अवकाश रहेगा। परन्तु उक्त आदेश अनुसार वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा ।
ii. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 249/68/C.C/38 दिनांक 13.3.2020 में दिए गए निर्देश अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय में आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा। परन्तु प्रदेश के समस्त विश्वविघालयों / महाविघालयों में संचालित वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
iii. संचनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक आईसीडीएस/4354 दिनांक 14.3. 2020 में दिए गए निर्देश अनुसार जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को 31 मार्च 2020 तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद रखा जाएगा।
iv. समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग क्लासेस/ सेंटर भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित की जाती है कि जाएं।
v. समस्त प्रकार की हॉबी क्लासेस, समर क्लासेस, योगा, डांस, ग्रूमिंग क्लासेस अथवा इसी प्रयोजन से संबंधित समस्त हॉबी क्लासेस/वर्कशॉप आदि भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित किए जाएं।

7. लोक/निजी परिवहन एवं अन्य आवश्यक वस्तु/ सेवाओं के परिवहन संबंधी निर्देश –

i. Covid-19 वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय सामाजिक अलगाव (social distancing) ही है परंतु लोक परिवहन में सामाजिक अलगाव की शून्य संभावना को ध्यान में रखते हुए टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, मैजिक वैन, मारुति वैन, बस, मिनी बस अथवा किसी भी अन्य प्रकार के लोक परिवहन एवं निजी परिवहन के साधन के संचालन सहित समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी।

ii. परंतु किसी चिकित्सीय कारण, मेडिकल इमरजेंसी अथवा स्वास्थ्य संबंधी कारणों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए शासकीय अथवा निजी अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इस प्रतिबंध से बाहर रखा जाएगा।

iii. रेल, हवाई अड्डा एवं बस अड्डा के लिए लोक परिवहन (विशिष्ट अनुमति/ परमिट प्राप्त करने के उपरांत) इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

iv. बैंक अथवा एटीएम में नगद सप्लाय कर रहे वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

v. खाद्य पदार्थ, दवा, मेडिकल उपकरण एवं किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

vi. पेट्रोल डीजल पंप एवं एलपीजी सीएनजी गैस के परिवहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

8. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 36 प्र.स./ स्वा/ सत्रह/मेडि-तीन दिनांक 15.3.2020, विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 13.3.2020 अनुसार जारी निर्देश, दण्ड प्रकिया सहिता 1973 के उपबंध एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 उपबंध अन्तर्गत अन्य प्रतिबंधित इस प्रकार होंगे:'-

i. कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रखी जा जाए।

ii. आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक समारोह दिनांक 31मार्च 2020 तक स्थगित रहेंगे।

iii. समस्त आयोजन, धरना, जूलुस, रैली, ज्ञापन आदि आयोजन/जमावडा या जिले की सीमा अन्तर्गत किसी भी स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।

iv. इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, सोशल मीडिया अथवा प्रचार प्रसार के किसी भी साधन का उपयोग कर गलत/भ्रामक/ अपुष्ट सूचना, संदेश, पोस्ट, टिव्ट, ब्लॉग इत्यादि करने अथवा फारवंड करना भी प्रतिबंधित किया जाता है।

v. अगर किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना है या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक है तो संबंधित थाना क्षेत्र से र्निधारित प्रारूप में अनुमति पास प्राप्त करेंगे।

9. कोरोना वायरस के कारण हेंड सेनेटाईजर एवं मास्क की उपलब्धता के संबंध में –

i. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2020 के द्वारा केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2 (ग) की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) सजिंकल मास्क एवं 95 मास्क ओर हेंडल सेनेटाईजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। अतः 2प्लाई, 3प्लाई सजिंकल मास्क, एन 95 मास्क एवं हेंड सेनेटईजर में उल्लेखित अधिकतम खूदरा बिक्री से अधिक दामों में बिक्री न की जाए ।

चूकि यह आदेश जन सामान्य के जनमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके, अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा । यह आदेश दिनांक 23/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से

जारी किया गया। उक्त आदेश दिनांक 23/03/2020 से 25/03/2020 तक प्रभावशील रहेगा तथा आवश्यकता अनुसार उक्त अवधि में संशोधन किया जा सकेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

(लोकेश कुमार जाटव)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर

पृ०क्र०.336./पी.ए./2020 इन्दौर, दिनांक 23-03-2020

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
5. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
6. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
7. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
8. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
9. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर
11. कार्यपालन संचालक, एम.पी.आई.डी.सी.
12. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
13. एयरपोर्ट डायरेक्टर, इन्दौर
14. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
15. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी एवं विकास अभिकरण
16. एस.डी.ओ. (पुलिस), डा. अम्बेडकरर नगर(महू), सांवेर, देपालपुर।
17. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली, संयोगितागंज, परदेशीपुरा, विजयनगर, जूनी इन्दौर, सराफा, मल्हारगंज, अन्नपूर्णा, आजाद नगर, गांधी नगर, इन्दौर
18. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेश शाखा, इन्दौर
19. थाना प्रभारी, थाना...जिला इन्दौर की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेशित ।
20. निदेशक आकाशवाणी इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेशित ।
21. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाश हेतु अग्रेशित।
22. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
23. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।
24. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर
25. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, इन्दौर
26. जिला परिवहन अधिकारी, इन्दौर
27. जिला अपूर्ति अधिकारी, इन्दौर
28. संबंधित समस्त अधिकारी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर